संख्या- 61 /1720/24-1-14-81 पी/2004

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्वुत सुरक्षा निदेशालय,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय:-विद्वुत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में विद्वुत सुरक्षा निदेशालय के अधिष्ठांन कार्यों के लिए प्राविधानित धनराशि रूपये 21,61,74,000/- (रूपये इक्कीस करोड़ इकसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष रूपये 7,16,36,000/- (रूपये सात करोड़ सोलह लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या:- 42/802/24-1-14-81 पी/2004, दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा जारी की जा चुकी है। अत- अवशेष धनराशि रू0 14,45,38,000/- (रू0 चौदह करोड़ पैंतालिस लाख अडतीस हजार मात्र) को संलग्नक के अनुसार व्यय करने हेतु निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपरोक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व निर्धारित नियमों/आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2003 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों के लिए धनराशि का तत्काल आवंटन कर शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) आय-व्ययक को आकस्मिक मदों में व्यय एवं वस्तुओं को क्रय करते समय उ0प्र0 स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी आदेशों का पालन विशेष ध्यान रख कर किया जायेगा।

(3) मद संख्या- 46 में स्वीकृत धनराशि निदेशालय द्वारा ऊर्जा विभाग का अनुमोदन/अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103-संग्रहण प्रभार-विद्वुत शुल्क-03- विद्वुत सुरक्षा निदेशालय" के नामे डाला जायेग।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://srasonadesh.up.nic.in

संख्या- 61 /1720(1)/24-1-14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 61/1720/24-1-14-81 पी/2004, दिनांक 31 जुलाई, 2014 का संलग्नक

लेखाशीर्ष एवं मद का नाम	वर्ष 2014-15 के लिए आय-व्ययक के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि (रूपये हजार में)
अनुदान संख्या-9के लेखाशीर्ष "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103-संग्रहरण प्रभार-विद्वुत शुल्क-03-विद्वुत सुरक्षा निदेशालय"	
01- वेतन	62818
02- मजदूरी	49
03- महंगाई भत्ता	65959
04- यात्रा व्यय	750
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	275
06- अन्य भत्ते	7500
07- मानदेय	35
08- कार्यालय व्यय	1000
09- विद्वुत देय	635
10- जलकर/जल प्रभार	155
11- लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई	275
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	535
13- टेलीफोन व्यय	400
15- गांडियों का अनुक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	800
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	70
17- किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	1000
18- प्रकाशन	35
22- अतिथि व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	--
26- मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	70
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7
45- अवकाश यात्रा व्यय	20
46- कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफटवेयर का क्रय	350
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	350
49- चिकित्सा व्यय	1400
51- वर्दी व्यय	50
योग-	144538

(रूपये चौदह करोड़ पैंतालिस लाख अडतीस हजार मात्र)

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in